हिन्दुस्तान

गोरखपुर, कानपुर, नोएडा, प्रयागराज, आजमगढ़ और मुरादाबाद प्लांट को निजी कंपनियां लीज पर चलाएंगी

पराग के छह डेयरी प्लांट अब लीज पर दिए जाएंगे

कैबिनेट फैसले

लखनऊ, विशेष संवाददाता। यूपी सरकार ने अपनी संस्था पीसीडीएफ के छह डेयरी प्लांट निजी कंपनियों को दस साल के लिए लीज पर देने का निर्णय लिया है। यह प्लांट वर्तमान में ठप हैं या घाटे में चल रहे हैं। इससे पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य मिलेगा। यह डेयरी प्लांट गोरखपुर, कानपुर, नोएडा, प्रयागराज, आजमगढ़ और मुरादाबाद में हैं। पीसीडीएफ पराग ब्रांड से खुद डेयरी चलाता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसकी जानकारी वित्तमंत्री सुरेश खन्ना व कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पत्रकार वार्ता में दी। इन मंत्रियों ने बताया कि इन प्लांट को लीज पर भले ही दिया जा रहा है, लेकिन इनका स्वामित्व पीसीडीएफ और दुग्ध संघों का ही होगा। लीज फर्म को केवल इनके प्रबंधन और संचालन के लिए ही दिया जाएगा। लीज फर्म प्लांट की मूल संरचना के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेंगी।

नोएडा का प्लांट का टर्नओवर सबसे ज्यादा : वर्तमान में गोरखपुर प्लांट का वार्षिक टर्नओवर 110 करोड़, कानपुर का 325 करोड़, नोएडा का 438 करोड़, प्रयागराज का 65 करोड़, आजमगढ़ का 11 करोड़ और मुरादाबाद का 110 करोड़ है। इन प्लांट को लीज पर लेने के लिए बनास डेयरी गुजरात, साबर डेयरी गुजरात, मदर डेयरी नई दिल्ली और काम्फेड सुधा डेयरी बिहार ने रुचि दिखायी है।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर में जनता दरबार लगाया और लोगों की दिक्कतों को दूर करने के निर्देश दिए।

बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री के लिए अब मिलेंगे लाइसेंस

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में भी बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री को सरकार प्रोत्साहित करेगी। इसके उत्पादन और बिक्री के लिए बनाए गए दिशा निर्देशों को मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति-2022 जारी की गई है जिसके तहत बायोडीजल को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था है। बायोडीजल के लाइसेंस/रेगुलेशन की यूपी में अबी तक कोई व्यवस्था नहीं थी। जिसे ध्यान में रखते हुए बायोडीजल के उत्पादन और बिक्री के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

अब क्राउन, किंग, क्वीन और एम्पायर जैसे शब्दों का प्रयोग कर सकेंगी फर्म

लखनऊ। क्राउन, किंग, एम्परर, एम्पायर, इंपीरियल, क्वीन, रायल आदि शब्दों का प्रयोग अब यूपी के फर्म कर सकेंगे। इन शब्दों का प्रयोग निषेध करने वाली भारतीय भागीदारी नियमावली की टिप्पणी तीन को हटाने की मंजूरी कैबिनेट ने दी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 71 की उपधारा (1) में प्राविधानित व्यवस्था के तहत जारी उ.प्र. भारतीय भागीदारी नियमावली 1933 यथासंशोधित नियमावली 1974 की टिप्पणी तीन में उपरोक्त शब्दों का किसी फर्म द्वारा प्रयोग किया जाना निषिद्ध किया गया था। इन शब्दों के प्रयोग से उस समय की किंग, क्वीन, रायल, क्राउन की संस्थाओं की अवमानना हो सकती थी। वर्तमान में भारतीय गणतंत्र में ये संस्थाएं विलुप्त हो गई हैं। इसलिए नियमावली में इन शब्दों के प्रयोग पर रोक अनावश्यक प्रतीत हो रहा था।

राम जन्मभूमि मंदिर मार्ग फोर लेन में फसाड लाइट व अन्य कार्यों को मंजूरी

लखनऊ। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर तक पहुंच मार्ग योजना के तहत रामपथ पर सहादतगंज-नयाघाट मार्ग मेन स्पाईन रोड लंबाई 12.940 किमी. के फोर लेन चौड़ीकरण व अन्य कार्यों को शामिल किए जाने से योजना की लागत में हुई वृद्धि को कैबिनेट का अनुमोदन मिल गया है। इस मार्ग को फोर लेन बनाने के साथ ही फसाड आदि कार्य होंगे। पुनरीक्षित लागत 844 करोड़ 93 लाख 56 हजार रुपये को मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। वहीं अयोध्या-बिल्लहरघाट (एबी बंधा मार्ग) फोर लेन चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण कार्य के लिए आईआरसी मानकों के मुताबिक पुनरीक्षित लागत को मंजूरी मिल गई है।